

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

विविध आदेश

क्रमांक 34 /

दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 27 / 02 / 2024

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर, जिला-रीवा (रिक्त न्यायालय) के न्यायालय से लंबित सिविल प्रकरणों की सूची क्रमांक 01 लगायत 60 तक प्राप्त हुई।

अतः सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर, जिला-रीवा (रिक्त न्यायालय) के न्यायालय से लंबित सिविल प्रकरणों की सूची क्रमांक 01 लगायत 60 तक को उनकी न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर, जिला-रीवा (म0प्र0) के न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

(सुबोध कुमार जैन)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

रीवा, दिनांक 27 फरवरी 2024

पृष्ठांकन क्रमांक 1090 /

दो-15-3/90

प्रतिलिपि:-

1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ/कनिष्ठ खण्ड, सिरमौर।

को निर्देशित किया जाता है कि सूची अनुसार प्रकरण यथाशीघ्र संबंधित न्यायालय की/से ओर प्रेषित/प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

2. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, सिरमौर।

3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा।

4. जू0सि0ए0/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग रीवा।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

रीवा (म0प्र0)